



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 25 जून, 2026 / 04 आषाढ़, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL

STATE OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 17th June, 2026

No.: 1-10/2016-2324.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) days earned leave *w.e.f.* 23rd to 27th June, 2026 with permission to avail suffix *i.e.* Sunday falling on 28th June,

2026 in favour of Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on five (05) days earned leave and that, this period of leave will count for earning his annual increment.

Certified that Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA),
Additional Advocate General.

DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 17th June, 2026

No.: 1-38/2023-2328.—Sanction is hereby accorded to the grant of four (04) days earned leave *w.e.f.* 22nd to 25th June, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Sunday and Gazetted Holiday falling on 21st and 26th June, 2026 in favour of Sh. Rahul Thakur, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Sh. Rahul Thakur, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on four (04) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Rahul Thakur, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA),
Additional Advocate General.

DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 17th June, 2026

No.: 1-32/2024-2326.—Sanction is hereby accorded to the grant of two (02) days earned leave for 23rd and 24th June, 2026 in favour of Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on two (02) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA),
Additional Advocate General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th June, 2026

No. HHC/GAZ/14-389/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 22-06-2026 to 30-06-2026 with permission to prefix Sunday falling on 21-06-2026 in favour of Sh. Anshul Malik, Civil Judge-*cum*-JMFC, Nahan, H.P.

Certified that Sh. Anshul Malik is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Anshul Malik would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th June, 2026

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 9 Days, days earned leave for 16-06-2026 to 24-06-2026 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P.

Certified that Ms. Ms. Priyanka Devi is likely join the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi would continue to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th June, 2026*

No. HHC/GAZ/14-406/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 180 days maternity leave *w.e.f.* 15-12-2025 to 12-06-2026 in favour of Ms. Megha Sharma, Civil Judge (Leave Training Reserve), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, H.P.

Certified that Ms. Megha Sharma would join the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Megha Sharma would have continued to hold the post of the Civil Judge (Leave Training Reserve), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th June, 2026*

No.HHC/Estt.3(762)/2010.—06 days earned leave on and *w.e.f.* 22-06-2026 to 27-06-2026, with permission to affix Sundays falling on 21-06-2026 & 28-06-2026 is hereby sanctioned in favour of Smt. Priti Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Priti Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Priti Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th June, 2026*

No. HHC/GAZ/14-426/2024.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 2 days earned leave for 01-04-2026 and 02-04-2026 with permission to suffix 03-04-2026 being Gazetted holidays and 05 days earned leave *w.e.f.* 08-04-2026 to 12-04-2026

with permission to suffix 13-04-2026 to 15-04-2026 being local holidays and Gazetted holidays, respectively in favour of Ms. Susmita Sharma, Civil judge-cum-JMFXC-V, Shimla.

Certified that Ms. Susmita Sharma had join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Susmita Sharma would continue to hold the post of Civil judge-cum-JMFXC-V, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th June, 2026

No. HHC/GAZ/14-236/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 20-05-2026 to 23-05-2026, with permission to suffix Sunday falling on 24-05-2026, in favour of Sh. Aman Sood, Principal Judge, Family Court, Mandi, H.P.

Certified that Sh. Aman Sood has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Aman Sood, would have continued to hold the post of, Principal Judge, Family Court, Mandi, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th June, 2026

No. HHC/GAZ/14-406/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 60 days earned leave for 13-06-2026 to 11-08-2026 in favour of Ms. Megha Sharma, Civil Judge (Leave /Training Reserve), High court of Himachal Pradesh, Shimla, H.P.

Certified that Ms. Megha Sharma is likely join the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Megha Sharma would continue to hold the post of Civil Judge (Leave/Training Reserve), High court of Himachal Pradesh, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2026

No. HHC/GAZ/14-321/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 06 days earned leave *w.e.f.* 16-05-2026 to 21-05-2026 on favour of Smt. Neha Sharma, Senior Civil Judge-cum-CJM, Una.

Certified that Smt. Neha Sharma had join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Neha Sharma would have continued to hold the post Senior Civil Judge-cum-CJM, Una, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th June, 2026

No.: Agr-B-F(8)-5/2012-Loose-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (2) (3) of Section 30 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, (Act No. 20 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Agricultural Produce Market Committee, Una with immediate effect. The following will be its Ex-officio/non-official members:—

A. Ex-Officio Members

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Deputy Commissioner Una,
District Una, H.P. | <i>Vice-Chairman</i> |
| 2. Deputy Director Agriculture Una,
District Una, H.P. | <i>Member</i> |

- | | | |
|----|---|---------------|
| 3. | Deputy Director Horticulture Una,
District Una, H.P. | <i>Member</i> |
| 4. | Deputy Director Animal Husbandry Una,
District Una, H.P. | <i>Member</i> |
| 5. | Incharge Krishi Vigyan Kendra Una,
District Una, H.P. | <i>Member</i> |
| 6. | Secretary, Market Committee Una,
District Una, H.P. | <i>Member</i> |

B Non-Official Producer Members

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Sh. Shiv Kumar Saini s/o Sh. Bhagat Ram
Ward No.4 Una, Tehsil & Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 2. | Sh. K.C. Sharma s/o Sh. Prem Dass Sharma,
V.P.O. Jasana, Tehsil Bangana, Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 3. | Sh. Sarwan Kumar s/o Sh. Nikka Ram
V.P.O. Ispur, Tehsil & Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 4. | Sh. Jagdish Ram Mahasye s/o Sh. Basant Ram
r/o Banbansehra, P.O. Chintpurni, Teh. Amb,
Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 5. | Sh. Ravinder Kumar Saini s/o Sh. Kishan Chand,
V.P.O. Haroli, Tehsil Haroli, Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 6. | Sh. Gian Chand s/o Sh. Mahanta, Ward No.,
V.P.O. Bhaira, Tehsil Amb, Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 7. | Sh. Mahindera Singh s/o Lt. Sh. Nikka Ram
V.P.O. Lathiani, Teh. Bangana, Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 8. | Sh. Darshan Lal s/o Sh. Amrit Saria,
r/o Ward No.3, Abada Barana, Distt. Una. | <i>Member</i> |
| 9. | Sh. Dharam Singh Adv. r/o Balebal,
Tehsil Haroli, Distt. Una, H.P. | <i>Member</i> |

C. Non-Official Trader Member

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Bal Krishan,
House No. 11, Ward No.1, Friends Colony,
Amb Road Una. | <i>Member</i> |
|----|--|---------------|

The above committee shall conduct its business subject to the provisions of the above Act.

Term of Office

Every non-official member shall hold the office during the pleasure of State Government. The term of an ex-officio member of the committee shall come to an end, as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

The Committee shall elect from amongst its members a Chairman.

The non-official members shall be entitled to TA/DA as per Government rules.

By order,

Secretary (Agriculture).

**Office Of the Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Mohit Sharma s/o Sh. Milap Chand, r/o V.P.O. Jhabola, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

2. Preeti Devi d/o Sh. Dashanu Ram, r/o V.P.O. Jhabola, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) . *Applicants.*

Versus

General Public

. *Respondent.*

Subject.—Application for registration of under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Mohit Sharma & Preeti Devi applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and Ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-07-2026, after that no objections will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 06-06-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Additional District Registrar of Marriages-cum-S.D.M,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Tehsil Jhandutta, District Bilaspur(H.P.)

Smt. Pan Devi w/o Late Sh. Ranjit Singh, r/o Vill. Jai Shri Devi, P.O. Koserian, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) . *Applicant.*

Versus

General Public

. *Respondent.*

Smt. Pan Devi w/o Late Sh. Ranjit Singh, r/o Vill. Jai Shri Devi, P.O. Koserian, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) has submitted an application to the undersigned for

correction of name in her Aadhar Card. She further submitted that the correct name of her as per PPO No. 232198702789, Bonafide Certificate, UID No. BH202655321639973 issued by the Naib Tehsildar, Sub-Tehsil Kalol, Parivar Nakal issued by Secretary G.P. Koserian, Block Jhandutta is spelled out as Pan Devi. In this connection she supported her PPO, Bonafide Certificate and Parivar nakal mentioned above.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for correction in name as mentioned above may submit his/her objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of notice in official Gazette, no objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this court on this 05th day of June, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur(H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Tehsil Jhandutta, District Bilaspur(H.P.)

Smt. Hanso Kumari w/o Sh. Biri Singh Chandel, r/o Vill. Sangh Tikkri, P.O. Jabloo, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.). . *Applicant.*

Versus

General Public

. *Respondent.*

Smt. Hanso Kumari w/o Sh. Biri Singh Chandel, r/o Vill. Sangh Tikkri, P.O. Jabloo, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) has submitted an application to the undersigned for correction the name in her Aadhar Card. She further submitted that the correct name of her as pre her husband's service PPO No. 204199701274, Bonafide Certificate UID No. BH20265824347181 issued by the Naib Tehsildar, Tehsil Jhandutta, Parivar Nakal issued by Secretary G.P. Dahad, Block Jhandutta is spelled out as Hanso Kumari. In this connection she supported her husband's PPO, Bonafide Certificate and Parivar nakal mentioned above.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for correction in name as mentioned above may submit his/her objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this court on this 05th day of June, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur(H.P.).*

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या :
28/2024

किस्म मुकद्दमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर :
19-10-2024

तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती राम प्यारी पुत्री स्व० श्री माल पुर, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती राम प्यारी पुत्री स्व० श्री माल पुर, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती राम प्यारी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 12-08-1973 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि राम प्यारी पुत्री स्व० श्री माल पुर की जन्म तिथि 12-08-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या :
12/2025

किस्म मुकद्दमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर :
16-06-2025

तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री नरोत्तम पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री नरोत्तम पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात में नरोत्तम दास पुत्र दिवान सिंह गलत दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे धार हन्या डी0पी0एफ0सी0 157 बटसेरी में अपना नाम नरोत्तम दास पुत्र दिवान सिंह के स्थान पर नरोत्तम पुत्र श्री दिवान सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों का मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया गया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात के राजस्व बटसेरी, सेरिंगचे धार हन्या डी0पी0एफ0सी0 157 बटसेरी में नरोत्तम दास पुत्र श्री दिवान सिंह दर्ज हुआ है जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र में नरोत्तम पुत्र दिवान सिंह सही पाया गया मौके पर ग्राम वासी बटसेरी के ब्यानात लिए गए हैं। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्यनजर रखते हुए वादी के नाम राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, धार हन्या डी0पी0एफ0सी0 157 बटसेरी में दुरुस्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा बटसेरी सेरिंगचे, धार हन्या डी0पी0एफ0सी0 157 बटसेरी में नरोत्तम दास पुत्र दिवान सिंह के स्थान पर नरोत्तम पुत्र दिवान सिंह करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 10-07-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, धार हन्या डी0पी0एफ0सी0 157 बटसेरी में वादी का नाम नरोत्तम दास पुत्र श्री दिवान सिंह के स्थान पर नरोत्तम पुत्र श्री दिवान सिंह दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 का जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख फैसला :
/2026	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	10-04-2026	

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री केदार सिंह, निवासी गांव डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री केदार सिंह, निवासी गांव डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग

पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती श्यामा देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 31-10-1969 का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि श्यामा देवी पुत्री श्री केदार सिंह की जन्म तिथि 31-10-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :
/ 2026

किस्म मुकद्दमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर :
09-06-2026

तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्ष :

भावना पुत्री स्व0 श्री मस्त राम, निवासी गांव डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
... वादिया।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

भावना पुत्री स्व0 श्री मस्त राम, निवासी गांव डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भावना की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरु के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 08-08-1992 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि भावना पुत्री स्व0 श्री मस्त राम की जन्म तिथि 08-08-1992 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख फैसला :
/ 2025 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 29-07-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती राम देवी पुत्री श्री रत्न चन्द, निवासी गांव डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती राम देवी पुत्री श्री रत्न चन्द, निवासी गांव डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती राम देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 05-02-1967 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि राम देवी पुत्री श्री रत्न चन्द की जन्म तिथि 05-02-1967 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख फैसला :
/ 2026 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 09-06-2026

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री सेह देव, निवासी गांव डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री सेह देव, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि स्वयं सुनिता देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 11-03-1970 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री सेह देव की जन्म तिथि 11-03-1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :
/2025

किस्म मुकद्दमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर :
16-06-2025

तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात में लच्छमण सिंह पुत्र गुरु लाल गलत दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, पनपो कण्डा, धार हन्या निचली, में अपना नाम लच्छमण सिंह पुत्र गुरु लाल के स्थान पर लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों का मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से कि गई मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया गया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात के राजस्व बटसेरी, सेरिंगचे, पनपो कण्डा, धार हन्या निचली, में लच्छमण सिंह पुत्र श्री गुरु लाल दर्ज हुआ है जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र में लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल सही पाया गया। मौके पर ग्राम वासी बटसेरी के ब्यानात लिए गए हैं। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्यनजर रखते हुए वादी के नाम राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, पनपो कण्डा, धार हन्या निचली, में दुरुस्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, पनपो कण्डा, धार हन्या निचली, में लच्छमण सिंह पुत्र श्री गुरु लाल के स्थान पर लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल करने के बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 10-07-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा बटसेरी, सेरिंगचे, पनपो कण्डा, धार हन्या निचली में वादी का नाम लच्छमण सिंह पुत्र श्री गुरु लाल के स्थान पर लक्ष्मन सिंह पुत्र श्री गुरु लाल दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 का जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख फैसला :
/2025	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	28-11-2025	

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री उम्बर लाल, निवासी गांव डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री उम्बर लाल, निवासी गांव डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री ज्ञान सिंह की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 10-08-1963 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि यदि श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री उम्बर लाल की जन्म तिथि 10-08-1963 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 10-07-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 818610/26

आगामी पेशी : 10-07-2026

श्रीमती कला देवी पत्नी स्व० किशोरी लाल, निवासी गांव व डा० कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.— Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज नाम दुरुस्ती)

श्रीमती कला देवी पत्नी स्व० किशोरी लाल, निवासी गांव व डा० कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल कनौन पटवार वृत्त कनौन के रिकॉर्ड में कलावन्तू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम कला देवी दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया दिया है कि कलावन्तू व कला देवी दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल कनौन में अपना नाम कलावन्तू के बजाए कलावन्तू उर्फ कला देवी दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा की है।

अतः इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल कनौन में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-07-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल कनौन में कलावन्तू उर्फ कला देवी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 818612/26

आगामी पेशी : 10-07-2026

श्री अजीत कुमार पुत्र स्व० पूर्ण सिंह, निवासी गांव खाईण, डा० बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.— Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज नाम दुरुस्ती)

श्री अजीत कुमार पुत्र स्व० पूर्ण सिंह, निवासी गांव खाईण, डा० बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैंशर में पटवार वृत्त शैंशर में अजीत सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम अजीत कुमार दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि अजीत सिंह व अतीज कुमार दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में अपना नाम अजीत सिंह के बजाय अजीत सिंह उर्फ अजीत कुमार दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा की है।

अतः इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-07-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर तहसील सैज में उक्त प्रार्थी का नाम अजीत सिंह उर्फ अजीत कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 818615/26

आगामी पेशी : 10-07-2026

श्रीमती बाद दासी पुत्री शादू हाल पत्नी स्व० मीनू राम, निवासी गांव देवधार, डा० ब्रैहिन, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.— Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज नाम दुरुस्ती)

श्रीमती बाद दासी पुत्री शादू हाल पत्नी स्व० मीनू राम, निवासी गांव देवधार, डा० ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शांघड़ में पटवार वृत्त शांघड़ के रिकॉर्ड में देव कली पुत्री गुड़डी व मोहाल दशाहड़ पटवार वृत्त बनोगी के रिकॉर्ड में देवकी पुत्री शादू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम बाल दासी दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया दिया है कि देव कली व बाल दासी और देवकी व बाल दासी दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल शांघड़ में अपना नाम देव कली के बजाय देव कली उर्फ बाल दासी व पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल दशाहड़ में अपना नाम देवकी के बजाय देवकी उर्फ बाल दासी दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा की है।

अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल शांघड़ और पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल दशाहड़ में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-07-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल शांघड़ में देव कली उर्फ बाल दासी पुत्री गुड़डी और पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल दशाहड़, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया का नाम देवकी उर्फ बाल दासी पुत्री शादू दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 818613/26

आगामी पेशी : 10-07-2026

श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० पूर्ण सिंह, निवासी गांव खाईण, डा० बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.— Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इन्द्राज नाम दुरुस्ती)

श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० पूर्ण सिंह, निवासी गांव खाईण, डा० बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैंशर में पटवार वृत्त शैंशर के रिकॉर्ड में कशौलू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम कौशल्या दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया दिया है कि कशौलू देवी व कौशल्या दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में अपना नाम कशौलू देवी के बजाय कशौलू देवी उर्फ कौशल्या दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा की है।

अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या

वकालतन तारीख पेशी 10-07-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शेंशर के मोहाल शेंशर में कशौलू देवी उर्फ कौशल्या दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Ses Ram s/o Sh. Alam Chand, r/o Village Luharda, P.O. Panjali, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.).

2. Dilli Devi d/o Sh. Shyam Dass, r/o Village Ruar, P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Notice under Special Marriage Act.

Ses Ram s/o Sh. Alam Chand, r/o Village Luharda, P.O. Panjali, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) and Dilli Devi d/o Sh. Shyam Dass, r/o Village Ruar, P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 08-04-2025 and requested to register the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 09-06-2026.

Seal.

Sd/-
(GUNJEET SINGH CHEEMA),
Marriage Officer-cum-SDM,
Manali, District Kullu (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Tenzin Tharpa s/o Sh. Phurbu Tsering, r/o H. No. Q. No. p-2/589, V.P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Thinley Palmo d/o Sh. Sonam Namgyal, V.P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Tenzin Tharpa s/o Sh. Phurbu Tsering, r/o H. No. Q. No. p-2/589, V.P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Thinley Palmo d/o Sh. Sonam Namgyal, V.P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) (at present wife of Sh. Tenzin Tharpa s/o Sh. Phurbu Tsering, r/o H. No. Q. No. p-2/589, V.P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-06-2000 according to Hindu rites and customs at Shri Tibetan Temple Pandoh, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-07-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th day of June, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sarthak Arora s/o Sh. Mukesh Arora, V.P.O. Bijni, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Anchal Bhardwaj d/o Sh. Ashok Bhardwaj, r/o Ward No. 03, Vill. Kuranwari, P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sarthak Arora s/o Sh. Mukesh Arora, V.P.O. Bijni, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Anchal Bhardwaj d/o Sh. Ashok Bhardwaj, r/o Ward No. 03, Vill. Kuranwari, P.O.

Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) (at present wife of Sh. Sarthak Arora s/o Sh. Mukesh Arora, V.P.O. Bijni, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-11-2025 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-07-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th day of June, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Kashla, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Lutesh d/o Sh. Jag Mohan, Vill. Ansar, P.O. Balu, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Kashla, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Lutesh d/o Sh. Jag Mohan, Vill. Ansar, P.O. Balu, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) (at present wife of Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Kashla, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-11-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-07-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th day of June, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Mukesh Sharma (HAS) Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Tilak Bahadur Bohra--, r/o V.P.O. Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.)
..Applicant.

Versus

General Public ..Respondent.

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name in Aadhar Card of Nabina Bohra.

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of name of his daughter from Payal Bohra to Nabina Bohra in the record of Aadhar Card and all other relevant documents associated with the application.

Now, therefore the objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name as Nabina Bohra in place of Payal Bohra, they should appear before the undersigned on or before 15-07-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 16-06-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(MUKESH SHARMA, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H.P.)

Sh. Roshan Lal s/o Sh. Minju, r/o Dhabas, P.O. Dhabas, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Sh. Roshan Lal s/o Sh. Minju, r/o Dhabas, P.O. Dhabas, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his/her namely Sh. Roshan Lal whose date of birth (03-09-1970) in the Gram Panchayat Dhabas, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 19-07-2026 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 19-06-2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H.P.)

Smt. Urmila Devi d/o Sh. Mukh Ram, w/o Surender Singh, r/o Batewari, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Urmila Devi d/o Sh. Mukh Ram, w/o Surender Singh, r/o Batewari, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his/her namely Smt. Urmila Devi whose date of birth (14-09-1970) in the Gram Panchayat Dewat, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 19-07-2026 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 19-06-2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री चत्तर सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी गांव क्यारी, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, नाहन जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री चत्तर सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी गांव क्यारी, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2026-2127, दिनांक 29-05-2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली एवं ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, स्थित नाहन, विद्यालय त्याग पत्र, प्रति परिवार रजिस्ट्रार अन्य आवश्यक कागजात सहित मामले में पूर्ण छानबीन उपरान्त इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 19-12-1964 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि 19-12-1964 ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री चत्तर सिंह पुत्र श्री हुक्मी राम एवं श्रीमती प्रसन्नी देवी की जन्म तिथि 19-12-1964 ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 15-06-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती बबीता कुमारी पत्नी श्री शिव प्रसाद शर्मा, निवासी गांव रामपुर जटान, डा0 एवं ग्राम पंचायत काला आम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती बबीता कुमारी पत्नी श्री शिव प्रसाद शर्मा, निवासी गांव रामपुर जटान, डा0 एवं ग्राम पंचायत काला आम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2026-1900, दिनांक 22-05-2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, प्रति रिपोर्ट आंगनबाड़ी एवं अन्य कागजात सहित मामले में पूर्ण छानबीन उपरान्त इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसके बेटे रुद्र प्रसाद शर्मा की जन्म तिथि 17-09-2019 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत काला आम्ब, में दर्ज न करवा सके। अब वह अपने बेटे की जन्म तिथि उक्त ग्राम पंचायत काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 17-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती बबीता कुमारी एवं श्री शिव प्रसाद शर्मा के पुत्र रुद्र प्रसाद शर्मा की जन्म तिथि 17-09-2019 ग्राम पंचायत काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 18-06-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Angad Bagga son of Mr. Gaurav Bagga, presently resident at CL 13/5, Married Officer accommodation, Dagshai Military station, Dagshai, Tehsil & Distt. Solan (H.P.), permanent residing at BH-HIG-79, Deendyal Nagar Maharaj Pura Gwalior (M.P.) and Mrs. Nimisha Sharma w/o Mr. Angad Bagga, presently residing at CL 13/5, Married Officer accommodation, Dagshai Military station, Dagshai, Tehsil & Distt. Solan (H.P.), and d/o Mr. Rajeev Sharma, r/o H. No.-R-339, Sector-21, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 08-03-2026 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Angad Bagga and Mrs. Nimisha Sharma were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Angad Bagga and Mrs. Nimisha Sharma, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 06th day of June, 2026.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Gopal Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Pankaj Banal son of Mr. Subhash Banal, r/o Shamlech, P.O. Barog, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Sakshi Thakur w/o Mr. Pankaj Banal, and d/o Mr. Budhi Ram, r/o Vill. Uperla Baroh (486), P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 26-04-2026 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Pankaj Banal and Mrs. Sakshi Thakur were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Pankaj Banal and Mrs. Sakshi Thakur, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th day of June, 2026.

Seal.

Sd/-
(GOPAL SHARMA, HPAS),
*Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Surjit Singh Bhatia s/o Late Sh. Gokal Dass, r/o Tanda Holta (252), District Kangra (H.P.)-176 061 declare that my name has been wrongly recorded in certain documents as SURJIT SINGH. My correct name and complete name is SURJIT SINGH BHATIA. Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known and identified only by name SURJIT SINGH BHATIA for all legal, official, financial, passport, banking and other documents.

SURJIT SINGH BHATIA
*s/o Late Sh. Gokal Dass,
r/o Tanda Holta (252),
District Kangra (H.P.)-176 061.*

CORRECTION OF NAME

I, Reshal d/o Sh. Rajender Singh, r/o Dakun 61, Narkanda, Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Rashal, which should be corrected as Reshal. Please correct this.

RESHAL
*d/o Sh. Rajender Singh,
r/o Dakun 61, Narkanda, Shimla (H.P.)*

विधि विभाग

अधिसूचना

दिनांक शिमला-2, 25 जून, 2026

संख्या : एल0एल0आर0-ए(2)-1 / 2014-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वतन अधिसूचना संख्या : एल0एल0आर0-ए(2)-1 / 2014-लेज दिनांक 12 अगस्त, 2025 के अधिक्रमण में, अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त नियम के उपबन्धों के लिए सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु तत्काल प्रभाव से "सक्षम प्राधिकारी" पदाभिहित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn. Dated 25-06-2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th June, 2026

LLR-A(2)-1/2014-Legn.—In exercise of powers conferred by rule 4 of the Notaries Rules, 1956 the Governor, Himachal Pradesh, in supersession of previous Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn., dated 12th August, 2025, is pleased to designate the Additional Legal Remembrancer-cum-Additional Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh as 'Competent Authority' for the entire State of Himachal Pradesh for the purpose of the said rules, with immediate effect.

By order,

Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law).

